राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.10(193)नविवि / 3 / 2009पार्ट–II   जयपुर, दिनांकः 6 APR 2017

आदेश

विषय :– मिनिप्लेक्स सिनेमा के निर्माण स्वीकृति के तकनीकी मानदण्ड।

उपरोक्त विषयान्तर्गत भवन विनियमों में सिनेमा / मल्टीप्लेक्स के वर्तमान प्रावधानों के अतिरिक्त मिनिप्लेक्स सिनेमा के निर्माण स्वीकृति के संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 2010 संशोधित, जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013, ग्रेटर भिवाड़ी भवन विनियम–2013, मॉडल स्थानीय निकाय (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम–2010 (1 लाख से कम आबादी के शहरों के लिये) एवं मॉडल राजस्थान भवन विनियम–2013 (जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी को छोड़कर अन्य 1 लाख आबादी के शहरों के लिए) की तालिका–4 हेतु दी गयी टिप्पणी के क्लाज ''(व) पेट्रोल पम्प व फिलिंग स्टेशन'' के पश्चात् नया क्लाज ''(श)'' निम्न प्रकार जोड़ा जाता है :–

''(श) मिनिप्लेक्स

तालिका–मिनिप्लेक्स निर्माण हेतु तकनीकी मानदण्ड़

क्र.सं.	ऑडिटोरियम की क्षमता	न्यूनतम क्षेत्रफल	सैटबैक (न्यूनतम)	ऊंचाई (अधिकतम)
1.	अधिकतम 100 सीट	600 वर्गमीटर	अग्र – 7.5 मी. अन्य – 4.5 मी. प्रत्येक	12 मीटर
2.	अधिकतम 150 सीट	750 वर्गमीटर	अग्र – 9 मी. अन्य – 4.5 मी. प्रत्येक	15 मीटर

नोट :–

1. भूखण्ड़ न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित हो।
2. कुल निर्मित एफ.ए.आर. का अधिकतम 20 प्रतिशत तक व्यवसायिक उपयोग किया जा सकेगा।
3. पार्किंग व अन्य मानदण्ड़ सिनेमा / मल्टीप्लेक्स हेतु निर्धारित मानदण्ड़ों के अनुरूप होंगे।''

आज्ञा से,
3/4/17
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, समस्त।
6. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर / अजमेर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

3/4/17
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम